संख्या : 2270 / 1–10–2008–12(73) / 2008

प्रेषक,

जी0के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झाँसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बाँदा, चित्रकूट,
हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं कानपुर नगर।

राजस्व अनुभाग –10 लखनऊ दिनांक 21 अप्रैल, 2008

विषयः सूखे से प्रभावित जनपद / तहसील में लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों के पशुओं की सुरक्षा हेतु सूखा चारा डिपो की स्थापना एवं सूखा चारा परिवहन व्यय अनुदान हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 610 / 1–10–2008–12(73) / 2007 टी0सी0 दिनांक 31 जनवरी, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सूखे से प्रभावित जनपद / तहसील में लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों के पशुओं की सुरक्षा हेतु न्याय पंचायत स्तर पर सूखा चारा डिपो की स्थापना हेतु सूखा चारा परिवहन व्यय अनुदान मद में निम्नांकित धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:–

क्रमांक	जनपद / तहसील का नाम	आवंटित धनराशि (रू0 में)
1	झाँसी	50,00,000 /
2	जालौन	50,00,000 /
3	ललितपुर	50,00,000 /
4	महोबा	50,00,000 /
5	बाँदा	50,00,000 /
6	चित्रकूट	50,00,000 /
7	हमीरपुर	50,00,000 /
8	मिर्जापुर	50,00,000 /
9	सोनभद्र	50,00,000 /
10	तहसील घाटमपुर (कानपुर नगर)	15,00,000 /
	योग	**4,65,00,000 / –**
		(रुपये चार करोड़ पैंसठ लाख मात्र)

A.Allt.2008

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या –51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय –42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. सूखे से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों के पशुओं की सुरक्षा हेतु निर्धारित दरों/मूल्य पर चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सूखा चारा डिपो की स्थापना की जायेगी। जनपद में सूखा चारा की माँग का निर्धारण, निर्धारित मूल्य पर चारे की आपूर्ति, विक्रय एवं परिवहन अनुदान की धनराशि का निर्धारण/प्रतिपूर्ति करने हेतु <u>जनपद स्तर</u> पर निम्नांकित <u>चारा प्रबन्धन समिति</u> गठित किये जाने का भी निर्णय लिया गया है:–

1.	जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
4.	जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
5.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त जनपद स्तरीय समिति द्वारा जनपद में सूखा चारा की उपलब्धता एवं कमी का आंकलन करेगी तथा सम्भावित कमी के अनुसार सूखे चारे की आपूर्ति की व्यवस्था करेगी। जनपद स्तर पर समिति आपूर्ति किये जाने वाले सूखे चारे की मात्रा को देखते हुये चारे की दर का निर्धारण करते हुये ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं से निविदायें आमंत्रित करेगी, जो जिले में स्थापित होने वाले चारा डिपो पर जन सामान्य को सूखा चारा उपलब्ध करायेंगी। क्रय किये जाने वाले सूखे चारे के मूल्य का निर्धारण <u>जिला स्तरीय चारा प्रबन्धन समिति</u> द्वारा किया जायेगा। सूखे चारे के विक्रय मूल्य का निर्धारण परिवहन व्यय अनुदान की धनराशि को घटाते हुये किया जायेगा।

4. लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों के पशुओं की सुरक्षा हेतु आवश्यकता एवं माँग के आधार पर ही चारा डिपो की स्थापना के औचित्य का परीक्षण कर आश्वस्त होने के उपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

5. चारा डिपो की प्रबन्धन व्यवस्था हेतु निम्नांकित <u>चारा डिपो प्रबन्धन समिति</u> गठित की जायेगी:–

1.	ग्राम प्रधान (जिस ग्राम में चारा डिपो स्थापित किया जा रहा है)	अध्यक्ष
2.	एक प्रगतिशील पशुपालक	सदस्य
3.	जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी	सदस्य सचिव

<u>चारा डिपो प्रबन्धन समिति</u> सूखे चारे की उपलब्धता एवं आवश्यकता की गणना कर चारे की कमी का आंकलन करेगी तथा सम्भावित कमी के अनुसार चारे की

मॉग जनपद स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगी। जिलाधिकारी द्वारा नामित व्यक्तियों/संस्थाओं के माध्यम से चिन्हित स्थानों से सूखे चारे की व्यवस्था कराकर चारा डिपो पर आपूर्ति/ विक्रय करायेगी।

6. यदि सूखाग्रस्त जनपद में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूखा चारा लाया जाता है तो विशेष सतर्कता बरती जाय ताकि इस योजना की आड में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे।

7. राज्य अथवा जिले के बाहर से लाये जाने वाले सूखे चारे के लिये क्रय किये जाने वाले स्थान के धर्म कांटे की तुलवायी की रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. जिसके आधार पर ही उस स्थान से चारा लाया जाना प्रमाणित माना जायेगा। इसका रेण्डम सैम्पलिंग के आधार पर समय–समय पर आकस्मिक सत्यापन भी कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

राज्य अथवा जिले के बाहर से लाये जाने वाले सूखे चारे को जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित धर्मकॉटे पर पुनः तौलवाया जायेगा एवं धर्मकॉटे की रसीद चारे की अन्तिम तौल का आधार माना जायेगा।

8. <u>यह योजना 30 जून, 2008 तक के लिये ही अनुमन्य होगी।</u> इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स के निर्देशों तथा Flood and Other Natural Calamities Mannual, Uttar Pradesh के Chapter -X -- Drought में उल्लिखित व्यवस्था का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. सूखा चारा की आवश्यकता का आंकलन कर क्रय की समुचित कार्यवाही निविदा के माध्यम से नियमानुसार सम्पादित की जायेगी। प्रस्तर –3 के अनुसार जिला स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर सूखा चारा की आवश्यकता का आंकलन कर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या–जी0आई0–134/1–11–2007–46/97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित मद संख्या –7 के बिन्दु –2 के अनुसार धनराशि व्यय की जायेगी।

10. उक्त आवंटित धनराशि में से 60 प्रतिशत धनराशि का उपभोग होने पर अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता का आंकलन करके धनावंटन प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रेषित किया जायेगा।

11. जिलाधिकारी पशु शिविर/आश्रय स्थल का निरीक्षण/सत्यापन अपने स्तर से विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से समय–समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे तथा निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता पाये जाने की स्थिति में अपनी रिपोर्ट शासन को भी उपलब्ध करायेंगे।

12. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

A.Allt.2008

13. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या –1693 / 1–11–2005–रा0–11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 10 जुलाई, 2008 तक अनिवार्य रूप से शासन को समर्पित कर दिया जाय।

14. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड –5 भाग –1 के प्रस्तर –369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या 42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

15. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 2270(1) / 1–10–2008–12(73) / 2008 तददिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, झॉसी, चित्रकूटधाम, मिर्जापुर एवं कानपुर।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, झॉसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बॉदा, चित्रकूट, हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं कानपुर नगर।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / राजस्व अनुभाग –11।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जी0के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव